अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016.

सं0 18/2016-सेवा कर

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 68 की उपधारा (2) द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 30/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. 472(अ), तारीख, 20 जून, 2012 द्‌वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में,

(क) पैरा 1 के खंड (अ) में,--

(i) उपखंड (झख) का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपखंड (झग) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(झग) लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1998 का 17) के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार के किसी लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता को किसी रीति में किसी लाटरी के संबंध में लाटरी की टिकटों को किसी विक्रय या विपणन अभिकर्ता द्‌वारा उपलब्ध कराने को प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमति ;";

(iii) उपखंड (iv) में मद संख्या (आ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

"(आ) विधिक सेवाओं के माध्यम द्‌वारा अधिवक्ताओं की कोई फर्म या वरिष्ठ एडवोकेट से भिन्न कोई अन्य व्यष्टिक अधिवक्ता, या ;";

(ख) पैरा 2 की सारणी में,--

(i) क्रम सं. 1ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) क्रम सं. 1ग के सामने स्तंभ 2 के अधीन विद्‌यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1998 का 17) के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार के किसी लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता को किसी रीति में किसी लाटरी के संबंध में लाटरी की टिकटों को किसी विक्रय या विपणन अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराने को प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमति के संबंध में ;

(iii) क्रम सं. 5 के सामने स्तंभ 2 के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"विधिक सेवाओं के माध्यम द्वारा अधिवक्ताओं की कोई फर्म या वरिष्ठ एडवोकेट से भिन्न कोई अन्य व्यष्टिक अधिवक्ता के संबंध में ;";

(iv) क्रम सं. 6 के सामने स्तंभ 2 में, "सहायक सेवाओं के माध्यम से" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होगी ।

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू)

(क. कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 30/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 472(अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 7/2014-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा सा.का.नि.161(अ), तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।